Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 79-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 5, 2022 (VAISAKHA 15, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

मानव संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 मई, 2022

संख्या 13/13/2018–4 जी.एस.–II.–हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) में, विद्यमान द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"द्वितीय अनुसूची

[देखिए धारा 10 (1)]

चयन के लिए मानदण्ड

1. सभी विभागों में ग्रुप घ पदों, जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन है, से संबंधित उम्मीदवारों के चयन तथा नामों की सिफारिश, सामान्य पात्रता परीक्षा तथा सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड के आधार पर की जाएगी।

2. सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर में सामान्य पात्रता परीक्षा अंक तथा सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड निम्नानुसार शामिल होंगे,–

क्रम संख्या	विषय	अंक
1	सामान्य पात्रता परीक्षा	95 प्रतिशत
2	समाजिक–आर्थिक मानदंड	05 प्रतिशत

व्याख्या:–

(1) 'सी0ई0टी0 अंक' से अभिप्राय है, सी0ई0टी0 में आवेदक द्वारा प्राप्त किए गए अंक,

(2) 'सी0ई0टी0 स्कोर' से अभिप्राय है, सी0ई0टी0 और समाजिक–आर्थिक मानदंड अधिमान के अंक,

(3) 'सी0ई0टी0 अंकों का कुल योग' से अभिप्राय है, सी0ई0टी0 के अधिकतम अंकों और समाजिक–आर्थिक मानदंड अधिमान के अधिकतम अंकों का कुलयोग।

3. (i) सामान्य पात्रता परीक्षा के अंकों को निम्नलिखित समाविष्ट करते हुए दो भागों में विभाजित किया जाएगा,–

(क) सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, मात्रात्मक क्षमता, अंग्रेजी, हिन्दी तथा यथा लागू सम्बद्ध या सुसंगत विषय (विषयों) के लिए 75 प्रतिशत अंक ;

(ख) हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अंक।

(ii) ग्रुप घ पदों के लिए प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा (मैट्रिक स्तर) के स्तर का होगा।

4. सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड अधिमान के अधिकतम पांच प्रतिशत अंक, निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन पात्र उम्मीदवारों के लिए अनुज्ञेय होंगे:–

(i) आवेदक, जो हरियाणा का मूल निवासी है, 5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगा बशर्ते कि.–

(क) न तो वह स्वयं और न ही उसके परिवार में से कोई व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/ निगम/कम्पनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है, था या रहा है; तथा

(ख) आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, व्यवसाय इत्यादि से उसके परिवार की सकल वार्षिक आय केवल एक लाख अस्सी हजार रूपए से कम होनी चाहिए।

टिप्पण1.–उपरोक्त (क) तथा (ख) के संबंध में, इसकी पुष्टि परिवार पहचान–पत्र और/या मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली (एच0आर0एम0एस0) डाटा से की जाएगी।

टिप्पण2.–नियमित कर्मचारी शब्द में, कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो संविदात्मक आधार, दैनिक मजदूरी पर या अतिथि अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि के रूप में कार्यरत हैं।

टिप्पण3.–सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड के प्रयोजन के लिए "परिवार" की परिभाषा निम्न अनुसार होगी :–

(i)	पुरूष उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई (भाइयों), तथा पुत्र (पुत्रों)
(ii)	अविवाहित महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता तथा अविवाहित भाई (भाइयों)
(iii)	विवाहित महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर–जेठ तथा पुत्र (पुत्रों)
(iv)	तलाकशुदा महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है, स्वयं आवेदक, उसका पिता, माता, अविवाहित भाई (भाइयों) और पुत्र (पुत्रों)।

(ii) यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी है और,–

(i) विधवा है , या

(ii) प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु बयालीस वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो , या

(iii) प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक की पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है;

तो परिवार पहचान–पत्र या विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र में प्रविष्टियों के अध्यधीन 5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगा।

(5 प्रतिशत)

(iii) यदि आवेदक, हरियाणा का मूल निवासी है और ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टापरीवास जाति) या राज्य की घुमंतू जनजाति से संबंधित हैं, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो 5 प्रतिशत अधिमान का हकदार होगा।

(5 प्रतिशत)

(iv) यदि आवेदक, हरियाणा का मूल निवासी है, तो उसे हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग/बोर्ड/निगम/कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण/सहकारी बैंक इत्यादि में समान या उच्चतर पद पर प्रत्येक एक वर्ष या उसके अनुभव के छह मास से अधिक भाग के लिए आधा प्रतिशत अधिमान दिया जायेगा। छह मास से कम की किसी अवधि या आठ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुभव का कोई अधिमान नहीं दिया जाएगा।

(अधिकतम 4 प्रतिशत)

टिप्पण:– सकल परिवार आय तथा सेवा में परिवार के किसी सदस्य के नियोजन की कोई शर्त अनुभव के अधिमान के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगी।

(5) अन्य शर्तें :—

(i) किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक–आर्थिक मानदंड तथा अनुभव के लिए कुल 5 प्रतिशत से अधिक अधिमान नहीं दिया जाएगा। उसके सम्बन्ध में यदि कोई आवेदक उपरोक्त पैरा 4 में उपबन्ध के अनुसार 5 प्रतिशत सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड अधिमान से अधिक के लिए पात्र है, तो सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड अधिमान अधिकतम 5 प्रतिशत होगा ।

(ii) हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण/ निकाय द्वारा अधिमान ग्रुप ग या घ के पद के लिए नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु जीवनकाल में केवल एक बार दिया जाएगा ।

(iii) यदि व्यक्ति स्वयं या उसके पारिवारिक सदस्य का अधिमान के लाभ सहित या के बिना एक बार चयन हो जाता है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी या किसी अन्य पद, जिसके लिए उपरोक्त पैरा 4(i) के टिप्पण 3 में यथा परिभाषित पारिवारिक सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्ततु किया गया है, पर नियुक्ति के लिए अधिमान हेतु विचारा नहीं किया जाएगा।

टिप्पण.— 'एक बार चयनित/नियुक्त' शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसकी सेवाएं माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना में घोषित चयन सूची के संशोधन के कारण समाप्त की गई हैं, ऐसे मामले में उस चयन/नियुक्ति को इस प्रयोजन के लिए उपेक्षित कर दिया जाएगा।

(iv) यदि किसी समय पर ग्रुप ग तथा/या ग्रुप घ पदों की सामान्य पात्रता परीक्षा की मेरिट सूची के लिए दो या अधिक परिवार के सदस्य पात्र हो जाते हैं, तो ऐसे मामले में क्रमशः दो या अधिक पात्र परिवार के सदस्यों में से ज्येष्ठ/ज्येष्ठतम को सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड अधिमान के प्रयोजन के लिए विचारा जाएगा। तथापि, अनुभव का अधिमान उपरोक्त पैरा 4(iv) के आधार पर परिवार के एक सदस्य से अधिक, यदि कोई हो, को अनुज्ञेय होगा।

(v) यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश हरियाणा सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी विभाग/बोर्ड/निगम में नियमित आधार पर कार्य करते हुए सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे देता है, तो वह या परिवार का कोई अन्य सदस्य सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड अधिमान का पुनः दावा करने हेतु पात्र नहीं होगा।"।

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

Notification

The 5th May, 2022

No. 13/13/2018-4GS-II.— In exercise of the powers conferred under section 26 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018), for the existing Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

"SECOND SCHEDULE

[see section 10 (1)]

CRITERIA FOR SELECTION

1. The selection and recommendation of the names of the candidates belonging to Group D posts where the minimum educational qualification is Matriculation in all departments shall be done on the basis of Common Eligibility Test and Socio-economic criteria.

2. The Common Eligibility Test score shall include CET marks and Socio-economic criteria as follows,-

Sr. No.	Subject	Marks
1.	Common Eligibility Test	95%
2.	Socio-economic criteria	5%

Explanations:-

(1) 'CET marks' means the marks obtained by an applicant in CET;

(2) 'CET score' means the CET marks plus the marks of Socio-economic criteria weightage;

(3) 'Total of CET marks' means the total of the maximum marks of CET and maximum marks of Socio-economic criteria weightage;

3. (i) The Common Eligibility Test marks shall be divided into two parts comprising—

(a) 75% marks for General Awareness, Reasoning, quantitative ability, English, Hindi and relevant or concerned subject(s), as applicable;

(b) 25% marks for History, Current Affairs, Literature, Geography, Environment, Culture etc. of Haryana.

(ii) The question paper shall be of the level of secondary education (Matriculation level) for Group D posts.

4. The maximum five percent marks of Socio-economic criteria weightage shall be admissible to the eligible candidates under the following circumstances:-

(i) An applicant who is a bonafide resident of Haryana shall be entitled to 5% weightage provided that—

(a) neither he himself nor any person from amongst the applicant's family is/was or has been a regular employee in any Department/ Board/Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of Haryana Government or any other State Government or Government of India; and

(b) gross annual income of the family from all sources i.e., salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application should be less than one lakh eighty thousand rupees only.

Note 1.- Regarding (a) and (b), it shall be confirmed from the data of Parivar Pehchan Patra and or HRMS.

Note 2.-The term 'regular employee' does not include a person who is working on contractual basis daily wages or as a Guest Teacher, Anganwari Workers, etc.

Note 3 - 'Family' for the purpose of Socio-economic criteria shall be—

(i) male applicant means the applicant himself, his father, mother, wife, unmarried brother(s) and son(s);

(ii) female unmarried applicant means the applicant herself, her father, mother and unmarried brother(s);

(iii) female married applicant means the applicant herself, her husband, father-in-law, mother-in-law, unmarried brother-in-law and son(s);

(iv) divorced female applicant means the applicant herself, her father, mother, unmarried brother(s) and son(s);

(ii) If the applicant is a bonafide resident of Haryana and is,—

(i) a widow; or

(ii) the first or the second child and his father had died before attaining the age of forty-two years; or

(iii) the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of fifteen years,

shall be entitled to 5% weightage subject to entries in Parivar Pehchan Patra or certificate issued by the concerned competent authority in the specified proforma.

(5%)

(iii) If the applicant is a bonafide resident of Haryana and belongs to such a denotified tribe (Vimukt Jatis and Tapriwas Jatis) or Nomadic tribe of the State which is neither a Scheduled Caste nor a Backward Class shall be entitled to 5% weightage.

(5%)

(iv) If the applicant is a bonafide resident of Haryana, he shall be awarded half percent weightage for each year or part thereof exceeding six months of experience, on the same or a higher post in any Department/Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority/Co-operative Banks etc. under Haryana Government. No weightage of experience shall be awarded for any period less than six months or for a period exceeding eight years.

(Maximum 4%)

Note.— *No condition of gross family income and employment of any family member in service shall be applicable for the purpose of weightage of experience.*

(5) **Other Conditions:**

(i) No applicant shall be given more than a total of 5% Socio-economic criteria weightage under any circumstances. Thereby, if an applicant is eligible for more than 5% Socio-economic criteria weightage in terms of provision in para (4) above, the Socio-economic criteria weightage shall be maximum 5%.

(ii) The Socio-economic criteria weightage by the recruiting agency under Haryana Government shall be given only once in a lifetime for appointment on regular basis to a post of Group C or D.

(iii) If a person himself or his family member is once selected/appointed with or without getting the benefit of weightage, no other family member shall be considered for weightage for selection/appointment to the same or any other post for which application has been submitted by any member of the family, as defined in note 3 of para 4(i) above.

Note.— *The term 'once selected/appointed' does not include the person whose services are terminated due to revision of selection list declared in compliance of the directions of Hon'ble High Court or any other competent authority, in such case that selection/ appointment shall be ignored for this purpose.*

(iv) If at a time two or more family members become eligible for merit list of CET of the Group C and/or Group D posts and are eligible to be considered for the Socio-economic criteria weightage, in such case the elder/eldest amongst the two or more eligible family members respectively shall be considered for the purpose of Socio-economic criteria weightage. However, the weightage of experience shall be admissible to more than one family member, if any, based on para 4(iv) above.

(v) If a person resigns from government service while working on regular basis in any Department/Board/Corporation under Haryana Government, any State Government or Government of India on whatsoever reason, he or any other family member shall not be eligible to claim the Socio-economic criteria weightage again.".

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government, Haryana.

9586—C.S.—H.G.P., Pkl.